

लिट्जलैंड के संघ एवं अमेरिकी संघ में अलमान्गारं

लिट्जलैंड के संघ एवं अमेरिकी संघ में जहाँ कल्पितसमान्गारं हैं वहीं कुछ अलमान्गारं भी हैं जो निम्न हैं -

① अमेरिका के संविधान द्वारा किरगर शक्ति विभाजन में सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था नहीं है जबकि लिस् संविधान में व्यवस्था की गई है।

② अमेरिका के संविधान में एक सूत्र में शक्ति विभाजन हुआ है जबकि लिट्जलैंड के संविधान में पत्र-तत्र संघ सरकार के अधिकारों का उल्लेख है।

③ अमेरिका में संघीय विषयों का प्रबंध स्वयं संघीय शासन द्वारा किया जाता है जबकि लिस् संघ में अनेक संघीय विषयों का प्रबंध केंद्रों की सरकारों द्वारा किया जाता है।

④ अमेरिका में संघ की इकाइयों को न केवल संविधान संशोधन की पुष्टि वल संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार है जबकि लिस् संविधान के अंतर्गत इकाइयों को केवल संशोधन की पुष्टि करने का ही अधिकार है। उन्हें संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

5) स्विट्स संविधान में जनता को संवैधानिक संशोधन के विषय में अधिकार दिया गया है लेकिन अमेरिका के संविधान में जनता को संवैधानिक संशोधन के विषय में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

6) स्विट्स संघ के अंतर्गत कैंटों को अपने निरवर्गी राज्यों से सुन्धियाँ कार्य का अधिकार है जबकि अमेरिकी संघ में शहरों को इस तरह के अधिकार नहीं हैं।

7) स्विट्स संघ में संघीय न्यायपालिका के ढाँचे में एक ही न्यायालय है, कोई अधिसूच संघीय न्यायालय नहीं है जबकि अमेरिकी संघ में संघीय न्यायपालिका का त्रिस्तरीय ढाँचा देखने को मिलता है।

इस प्रकार, यह देखा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था में काफी समानताएँ तो हैं पर साथ ही कुछ असमानताएँ भी हैं। फिर भी दोनों देशों की संघीय व्यवस्था अपने निर्माण के बाद से लगातार कार्य करती आ रही हैं। इन दोनों देशों ने ही संघीय व्यवस्था को अपने भूगोल, संस्कृति, वातावरण के अनुस्यू आत्मसात किया है।